बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07–विविध–24/2017– 3063 खाद्य, पटना/दिनांक– 09.07.19

प्रेषक,

चन्द्रशेखर, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा–7 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या–371(अ) दिनांक 08.02.2017 में संशोधन के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :– उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–2135(अ) दिनांक 25.06.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत छुटे हुए आच्छादित लाभुकों के आधार इनरौलमेंट/आधार सीडिंग हेतु आवेदन के लिए निर्धारित अवधि को अधिसूचना सं0–2135(अ) दिनांक 25.06.2019 के द्वारा 30 सितम्बर, 2019 तक विस्तारित किया गया, जिसके आलोक में छूटे हुए लाभुकों के आधार सीडिंग एवं सत्यापन का कार्य 30 सितम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि हर–हाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत छुटे हुए लाभुकों का 30.09.2019 तक आधार सीडिंग एवं सत्यापन कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराने की भी कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त।

08/7/XIX

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–24/2017– 3063 खाद्य, पटना/दिनांक– 09.07.19

प्रतिलिपि – सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी उप निदेशक, खाद्य/ उप महानिदेशक, UIDAI, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/7/XIX

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–24/2017– 3063 खाद्य, पटना/दिनांक– 09.07.19

प्रतिलिपि – निदेशक (पी0डी0), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

08/7/XIX

सरकार के अपर सचिव।

D:\M_2019\Sec_7\SECC.doc

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1923] नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 2019/आषाढ़ 5, 1941
No. 1923] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2019/ASHADHA 5, 1941

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2019

का.आ. 2135(अ).—केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में का.आ. संख्यांक 371(अ), तारीख 8 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा-1 के उप-पैरा (2) में "30 जून, 2019 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "30 सितम्बर, 2019 तक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) पैरा-2 के उप-पैरा (1) में "30 जून, 2019 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "30 सितम्बर, 2019 तक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9(2)/2016-पीडी II]

एस. जगन्नाथन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में का.आ. संख्यांक 371(अ), तारीख 8 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात का.आ. 2040 (अ), तारीख 29 जून, 2017, का. आ. 3176(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2017, का.आ. 4065(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2017, का.आ. 1460 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2018, का.आ. 3171 (अ) तारीख 29 जून, 2018, का.आ. 4998 (अ), तारीख 27 सितम्बर, 2018, का.आ. 6353(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2018 तथा का.आ. 1226(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा उसका संशोधन किया गया था।

Scanned by CamScanner

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2019

S.O. 2135(E).—In pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, *vide* number S.O. 371(E), dated 8th February, 2017, namely :—

In the said notification,—

(a) in paragraph 1, in sub-paragraph (2), for the words, figures and letters "by 30th June, 2019", the words, figures and letters "by 30th September, 2019" shall be substituted;

(b) in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for the words, figures and letters "by 30th June, 2019", the words, figures and letters "by 30th September, 2019" shall be substituted.

[F. No. 9(2)/2016-PD II]

S. JAGANNATHAN, Jt. Secy.

Footnote : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 371(E), dated the 8th February, 2017 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 2040(E), dated the 29th June, 2017, S.O. 3176(E), dated the 28th September, 2017, S.O. 4065(E), dated the 26th December, 2017, S.O. 1460(E), dated the 2nd April, 2018, S.O. 3171(E), dated the 29th June, 2018, S.O. 4998(E), dated the 27th September, 2018, S.O. 6353(E), dated 27th December, 2018 and S.O. 1226(E), dated 08th March, 2019.

Scanned by CamScanner